उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक उड्डयन अनुभाग
संख्या : 32/2025/301/छप्पन-2025
लखनऊ : दिनांक : 12 मार्च, 2025
फार्म बी0एम0-9 (भाग-1)
पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन
(बजट मैनुअल का प्रस्तर-158 देखें)

अनुदान संख्या व नाम : अनुदान संख्या-38, नागरिक उड्डयन अनुभाग वित्तीय वर्ष : 2024-25 (धनराशि लाख रूपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में) राजस्व लेखा	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
राजस्व-लेखाशीर्षक-3053-नागर विमानन-02-विमानपत्तन-102-हवाई अड्डा-03- हवाई पट्टियों का अनुरक्षण-29-अनुरक्षण					
305302102030029	40.73	40.00	40.00	40.00	0.73
राजस्व-लेखाशीर्षक-3053-नागर विमानन-01-हवाई सेवाएं-800-अन्य व्यय-02- रीजनल कनेक्टिवि स्कीम के अन्तर्गत वायबिलिटी गैप फण्डिंग-42-अन्य व्यय					
305301800020042	2000.00	157.00	157.00	157.00	1843.00
राजस्व-लेखाशीर्षक-3053-नागर विमानन-01-हवाई सेवाएं-800-अन्य व्यय-03-उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति, 2017 तथा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम-42-अन्य व्यय					
305301800030042	6000.00	70.00	70.00	70.00	5930.00
योग	8040.73	267.00	267.00	267.00	7773.73

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में) राजस्व लेखा	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
राजस्व-लेखाशीर्षक-2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-114-वाहन का क्रय तथा रख-रखाव-03- नागरिक उड्डयन निदेशालय					

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

207000114030029	150.00	160.00	10.00	10.00	160.00
207000114030042	2700.00	2957.00	257.00	257.00	2957.00
योग	2850.00	3117.00	267.00	267.00	3117.00

1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत के कारण निम्नानुसार है:- चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 में विभिन्न जिलाधिकारियों से अनुरक्षण संबंधी कार्यों का प्रस्ताव न प्राप्त होने के कारण एवं वी0जी0एफ0 तथा आर0सी0एस0 संबंधी बिल न प्राप्त होने के कारण बचत सम्भावित है।

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्न कारणों से है- शासनादेश संख्या-17/2025/186/छप्पन-2025-56-1002(002)/1/2023 दिनांक 10.02.2025 द्वारा निदेशालय स्थित वी0आई0पी0 लाउन्ज में पुन: विद्युतीकरण, फायर एलार्म सिस्टम, एवं फर्नीचर का कार्य कराये जाने हेतु रू0 68.00 लाख का अनुमानित व्यय किये जाने के कारण एवं मा0 मुख्यमंत्री जी उ0प्र0 सरकार द्वारा दिसम्बर, 2024 में वाह्य संस्था द्वारा प्रयोग में लाए गए हेलीकाप्टर की बिल भुगतान संबंधी एवं राजकीय वायुयान हॉकर 900एक्स0पी0 वी0टी0-यू0पी0एम0 में अनुरक्षण कार्य होने के कारण किराये पर लिये गये वायुयान के कारण व्ययाधिक्य हो रहा है।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर- 150 ,151, 154 व 155 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

(अभिनव कुमार चौरसिया)
अनु सचिव,
नागरिक उड्डयन विभाग।

आर0ई0 संख्या-बजट-1-529 /दस-2025, दिनांक : 11 मार्च, 2025

सेवा में,
महालेखाकार,
(लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

हस्ताक्षर

.....
(कुँवर मकरन्द सिंह)
संयुक्त सचिव,
वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या :32/2025/301(1)/छप्पन-2025-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ।
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो प्रतियों में)
6- गार्ड बुक।

(अभिनव कुमार चौरसिया)
अनु सचिव,
नागरिक उड्डयन विभाग।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।